## न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

-: आदेश :-

जिला स्तर से निर्धारित तिथि दिनांक 04-10-2013, 05-10-2013 एवं 19-10-2013 को संबंधित थाना में उपस्थित होकर शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किए जाने के कारण शस्त्र नियमावली 1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन एवं घोर लापरवाही मानते हुए जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा के कार्यालय ज्ञापांक 61 दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री संतोष कुमार पे0 श्री राजेश्वर प्र0 यादव, सा0 तुरकाही, थाना भर्राही ओ0पी0, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर. रायफल अनुज्ञप्ति सं0-13/2005(मधेपुरा थाना) को निलंबित करते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया था, जिसका जबाव आवेदन के साथ बायोडाटा सहित दिनांक 30-12-2013 को दाखिल किया है। अपने आवेदन में अंकित किया है कि दिनांक 02-10-2013 से 10-11-2013 तक जोन्डिस बीमारी से ग्रसित रहने एवं दिनांक 15-12-2013 को पटना में ईलाज के दौरान असामयिक निधन हो जाने तथा उनके श्राद्ध कर्म में व्यस्त रहने के कारण शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करवा सके हैं। इन्होंने उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को नवीकृत व निरीक्षित कराये जाने हेतु आदेश की अपेक्षा की है।

श्रीमती कुमारी माधुरी पति श्री विनोद कुमार विमल, अधिवक्ता, ग्राम+पो0-झरकाहा, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा ने दिनांक 22-01-2014 को श्री संतोष कुमार के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल कर संसूचित किया है कि (1) शंकरपुर थाना कांड सं0- 109/ 2013 अन्दर धारा 148,149,323,324,307,354,379,504 एवं 506 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट (2) मधेपुरा भर्राही ओ0पी0 थाना कांड सं0-330/08 अन्दर धारा 302/201/120बी./436/34 भा.द.वि. एवं (3) शंकरपुर थाना कांड सं0-20/10 अन्दर धारा 279,337,338,307,506 भा.दं.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के नामजद अभियुक्त हैं, के द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं, को रद्द करने एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निवेदन की है।

प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति कार्यालय ज्ञापांक 13/सपत्र, दिनांक 25-01-2014 के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी संतोष कुमार (प्रतिवादी) को एवं कार्यालय ज्ञापांक 14 दिनांक 25-01-2014 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को भेजते हुए आपराधिक इतिहास के बारे में विवरण, कांड की अद्यतन स्थिति, मंतव्य प्रतिवेदन की मांग करते हुए सनवाई की तिथि 30-01-2014 निर्धारित की गई। प्रतिवादी की ओर से समय आवेदन दाखिल किया गया। पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त नहीं रहने के कारण पुनः स्मारित करने तथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित रहने का नोटिस जारी करते हुए अगली तिथि 04-03-2014 निर्धारित की गई। सुनवाई के समय अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए परन्तु उनके विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। उनका कहना हुआ कि पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए समय दिए जाने का निवेदन किया गया। राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे सहायक लोक अभियोजक ने भी इस पर सहमति प्रकट की। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् एक मौका देते हुए दिनांक 14-03-2014 की तिथि निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष उपस्थित हुए। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 667/सी0आर0, दिनांक 13-01-2014 के द्वारा मंतव्य के साथ प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा दाखिल किया गया। दोनों पक्ष विस्तार से अपना-अपना पक्ष रखा। प्रतिवादी (अनुज्ञप्तिधारी) के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अनुज्ञप्तिधारी भौतिक सत्यापन की तिथि के पूर्व से ही जोन्डिस बीमारी के शिकार हो गए। उसके पिताजी का देहावसान उसी कम में हो गया। श्राद्धकर्म समाप्ति के पश्चात् दिनांक 30-12-2013 को शस्त्र संबंधी बायोडाटा समर्पित किया गया था, उस वक्त तक इनके विरूद्ध थाना में कांड अंकित होने का पता नहीं था, जिस कारण बायोडाटा में अंकित नहीं किया गया। उक्त कांड में प्रतिवादी को आपसी रंजिश, दुश्मनी के कारण फसाया गया है। अभी यह मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इस कांड को आधार बनाकर प्रतिवादी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाना उचित नहीं है। इन्होंने मानवीय संवेदना के आधार पर कारण पृच्छा स्वीकृत करते हुए आरोप से मुक्त करने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक ने प्रतिवादी के तर्क का प्रतिकार करते हुए बताया कि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित तिथि को शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जिस कारण इनके अनुज्ञप्ति को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। निलंबन उपरान्त इन्होंने जवाव आवेदन एवं बायोडाटा दिनांक 30-12-2013 को समर्पित किया है। विवरणी में आपराधिक वाद/ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की बात अंकित किया है, जबकि परिवाद पत्र एवं दाखिल प्राथमिकी की प्रति से स्पष्ट होता है कि इन पर तीन-तीन मामले दर्ज हैं। इन्होंने तथ्य को छुपाया है। इसकी समुचित जानकारी पूर्व में नहीं होने की बात बताई जा रही है। जब कांड का पता चल गया तो उसके बाद भी संशोधित बायोडाटा तत्क्षण सक्षम प्राधिकार/ अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया है कि मधेपुरा (भर्राही ओ0पी0) थाना कांड सं0-330/08 में

प्रतिवादी निर्दोष पाए गए है, जबकि शंकरपुर थाना कांड सं0-20/10 एवं 109/13 में इनकी संलिप्ता सत्य पाये जाने के कारण इनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इनमें से एक मामला 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी (अनुज्ञप्तिधारी) अपने आर्म्स का दुरूपयोग करते हैं, जो अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में आर्म्स जारी रखा जाना उचित नहीं है। रद्द करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की दलील सुनने के पश्चात् प्रतिवादी से प्राप्त कारण पृच्छा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन का संगोपांग अध्ययन किया गया। प्रतिवादी के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि उन्हें परिवादी द्वारा प्रतिवेदित कांड के विषय में समुचित जानकारी पूर्व से नहीं थी। जानकारी उपरान्त भी संशोधित बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया है। दर्ज कांड के विवेचना से स्पष्ट होता है कि ये क्रूर, अपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन से भी होता है। एसे छवि वाले व्यक्ति अपने शस्त्र का गलत उपयोग कर जान-माल की क्षति, अप्रिय घटना, लोकहित/ लोक शांति व्यवस्था में खतरा उत्पन्न कर सकता है। प्रतिवादी का कारण पृच्छा पूर्णतया असंतोषजनक, मनगढ़ंत एवं आधारहीन है। प्राप्त कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(3)(बी) एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) के तहत श्री संतोष कुमार पे0 स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव, सा0 तुरकाही, थाना मधेपुरा (भर्राही ओ0पी0), जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर.रायफल अनुज्ञप्ति सं0-12/2005(मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा-21(1) के तहत् उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर धारित रायफल सं0-ए.बी.05-09034 को मधेपुरा थाना में एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने के पश्चात् कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

14/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 267 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 14-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडा0, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ भर्राही (ओ0पी0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री संतोष कुमार पे0 स्व0 राजेश्वर प्रसाद यादव, सा0 तुरकाही, थाना मधेपुरा (भर्राही ओ0पी0), जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।